

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :—एफ. 01 ()परि/रथा./09 ५०३४

जयपुर दिनांक :—11.08.09

आदेश २३/०९

प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयों/कर संग्रह केन्द्रों पर पदस्थापित परिवहन निरीक्षकों/परिवहन उपनिरीक्षकों के द्वारा युनिफार्म ड्यूटी होने के कारण नियमित रूप से सप्ताह में सभी कार्य दिवसों में कार्य किया जाता है उक्त कर्मचारियों को भी साप्ताहिक अवकाश की आवश्यकता होती है। अतः समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उनके अधीन कार्यरत परिवहन निरीक्षकों/उपनिरीक्षकों साप्ताहिक अवकाश रोटेशन से स्वीकृत किया जावें। इस आदेश की पालना की जावे।

५०३४२ - ५०३४३
११.८.०९

अपर परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा)

प्रतिलिपि :— निम्नलिखित को सूचनार्थ पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
3. समस्त अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
4. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
5. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र।
7. श्री भवानी सिंह शेखावत, अच्यक्ष परिवहन निरीक्षक संघ, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा)